मध्य प्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2007–08

मंत्री	डॉ. नरोत्तम मिश्र
प्रमुख सचिव	श्री राघव चन्द्रा
आयुक्त	श्री एस.एन. मिश्रा
उप सचिव	श्री एस.के. उपाध्याय
अवर सचिव	श्री आर.के. चौकसे

प्रस्तावना

मध्यप्रदेश सरकार का प्रत्येक विभाग चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किये गये अपने कार्यो का लेखा–जोखा वार्षिक प्रतिवेदन में प्रस्तुत करता है । इसी परिपाटी का निर्वाह करते हुए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का वर्ष 2007–08 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत है ।

(राघव चन्द्रा)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

भोपाल
दिनांक

भाग–एक

विभागीय संरचना

1. संचालनालय और उसके संभागीय कार्यालय

विभाग के अधीन संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास का विभागाध्यक्ष कार्यालय गठित है, जो अपने 7 संभागीय कार्यालयों के माध्यम से प्रदेश के नगरीय निकायों का पर्यवेक्षण करता है।

नगरीय निकायों को तकनीकी मार्गदर्शन और उनकी परियोजनाओं के पर्यवेक्षण के लिए संचालनालय स्तर पर मुख्य अभियंता और संभागीय स्तर पर कार्यपालन यंत्री के अधीन यांत्रिकी प्रकोष्ठ गठित हैं । इंदौर तथा जबलपुर में क्षेत्रीय अधीक्षण यंत्रियों के कार्यालय भी गठित हैं ।

विभाग के अधीन नगरीय निकायों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन संबंधी कार्यो के पर्यवेक्षण के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में तीन नवीन जिलों को छोडकर शेष 45 जिलों में जिला शहरी विकास अभिकरण गठित है । इन अभिकरणों में विभाग द्वारा परियोजना अधिकारी पदस्थ किये गये हैं । विभाग के अन्तर्गत स्थापित संचालनालय उसके संभागीय कार्यालयों और जिला शहरी विकास अभिकरणों के लिये स्वीकृत अमले का विवरण **परिशिष्ट–एक** पर दर्शाया गया है ।

2. नगरीय स्थानीय संस्थायें

2.1 विभाग के अधीन मध्यप्रदेश में कुल 338 नगरीय निकाय हैं, जिनमें 14 नगर पालिक निगम, 88 नगरपालिका परिषद तथा 236 नगर पंचायतें हैं जिनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट–दो में दिया गया है ।

2.2 राज्य शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक 557–एफ–1–41/07/18–3 दिनांक 22.11.07 से नगर पंचायत अनूपपुर को नगरपालिका के रूप में अधिसूचित किया गया है ।

3. विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम निम्नानुसार हैः–

1 मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956
2 मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961
3 पशु अतिचार अधिनियम, 1971 (जहॉ तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों में लागू है)
4 विदिशा (भेलसा) रामलीला विधान, 1956
5 सिंहस्थ मेला अधिनियम 1955
6 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम (जहॉ तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों में लागू है) ।

7 स्लाटर ऑफ एनीमल्स एक्ट (जहॉ तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों में लागू है) ।

8 मध्यप्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984

9 मध्यप्रदेश गंदी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा निर्मूलन) अधिनियम, 1976

मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों के संचालन के लिए क्रमशः मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 बनाये गये है । इन अधिनियमों में निकायों के गठन, परिषदों के निर्वाचन, उनके कार्य संचालन, कर्त्तव्यों, शक्तियों और राज्य सरकार की भूमिका संबंधी विस्तृत प्रावधान है । उक्त अधिनियमों में नगरीय निकायों के वित्तीय स्त्रोतों और लगाये जाने वाले करों और फीस के बारे में स्पष्ट प्रावधान है ।

प्रदेश के नगरीय निकाय स्वायत्तशासी हैं । विभाग का दायित्व इन निकायों को उनके बुनियादी कर्त्तव्यों के निर्वहन में प्रशासकीय, वित्तीय और तकनीकी मामलों में आवश्यक परामर्श और सहयोग देना है । नगरीय निकायों के लेखाओं का अंकेक्षण संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्यप्रदेश के द्वारा किया जाता है ।

————————

भाग–दो

बजट

प्रदेश सरकार नगरीय निकायों को विभिन्न मदों में आर्थिक सहायता स्वीकृत करती है । इसके लिए विभाग के बजट में प्रावधान किया जाता है । विभाग के वर्ष 2007–08 के बजट में नगरीय निकायों के लिए निम्नानुसार राशि का प्रावधान किया गया है :–

(1)	आयोजना	रूपये	71,782.64 लाख
(2)	आयोजनेत्तर	रूपये	1,22,637.55 लाख
	योगः–	रूपये	1,94,420.19 लाख

विभाग की आयोजना मद में मुख्य रूप से जे एन एन यू आर एम/ आई एच एस डी पी तथा ए डी बी प्रोजेक्ट तथा अन्य योजनाओं सहित केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं शामिल है। आयोजनेत्तर मद में मुख्य रूप से नगरीय निकायों को चुंगीकर, यात्रीकर समाप्ति से हुई हानि की क्षतिपूर्ति राशि,सड़कों के मरम्मत और मूलभूत कार्यो के लिए अनुदान की राशि शामिल रहती है ।

वर्ष 2007–08 में आयोजना और आयोजनेत्तर मदों में प्रावधानित राशि, प्राप्त आवंटन और दिसम्बर 2007 तक के व्यय का विवरण परिशिष्ट–तीन (1) एवं (2) पर है ।

———

भाग–तीन

राष्ट्रीय, प्रादेशिक एवं बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं

(अ) राष्ट्रीय योजनाएं

1. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

1. शहरों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को ऊपर उठाने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी शहरों में भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1 दिसंबर 1997 से लागू है । इस योजना के तहत 75 प्रतिशत राशि भारत सरकार देती है जबकि 25 प्रतिशत राशि प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है । शहरी गरीबी रेखा का मापदण्ड इस समय प्रति व्यक्ति प्रतिमाह आय रू.522.64 से कम होना है । पूर्व सर्वेक्षण अनुसार इस समय प्रदेश में शहरी गरीब परिवारों की संख्या लगभग 9,22,000 है ।

इस योजना के प्रमुख कार्यक्रम और लक्ष्य निम्नानुसार हैः–

1.1 शहरों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता देकर गरीबी उन्मूलन करना इस योजना का लक्ष्य है ।

1.2 स्वरोजगार के लिए रू. 50,000 तक की परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 15 प्रतिशत या अधिकतम रू. 7,500 अनुदान दिया जाता है । 80 प्रतिशत ऋण बैंक देते है और 5 प्रतिशत सीमांत राशि हितग्राही को लगाना होती है ।

1.3 **स्वरोजगार कार्यक्रम** में कुल लाभान्वित हितग्राहियों में 30 प्रतिशत महिला और 3 प्रतिशत निःशक्त हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश है । इसी प्रकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितग्राहियों को स्थानीय आबादी में उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभान्वित किए जाने के निर्देश है ।

1.4 **हितग्राहियों के कौशल उन्नयन** के लिए विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान है जिनमें रू. 2,000 प्रति हितग्राही के मान से खर्च की सीमा निर्धारित है । प्रशिक्षण अवधि कम से कम 300 घण्टे होना चाहिए ।

1.5 **महिलाओं एवं बच्चों के विकास कार्यक्रम** में कम से कम 10 महिला हितग्राहियों के एक समूह को अधिकतम रू.1.25 लाख या परियोजना लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो अनुदान दिया जाता है और शेष राशि ऋण के रूप में बैंक से मिलती है ।

1.6 **बचत और साख समिति घटक** के तहत गरीब परिवारों की समिति गठित की जाती है जिसमें उन्हे छोटी–छोटी बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि जरूरत के समय वे समिति से ऋण प्राप्त कर सके ।

1.7 **शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम** के तहत सार्वजनिक परिसम्पत्तियों का निर्माण कर मजदूरी के रूप में रोजगार उपलब्ध कराया जाता है इस कार्यक्रम में निर्माण कार्य में सामग्री और श्रम पर खर्च का अनुपात 60:40 निर्धारित है । यह कार्यक्रम प्रदेश की नगर पंचायतों में लागू है ।

1.8 **योजना के सामुदायिक संगठक घटक** में सामुदायिक विकास समितियों के माध्यम से गरीबों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बालवाड़ी आदि गतिविधियॉ चलाई जाती है ।

1.9 योजना के अंतर्गत वर्ष 2002–03 से वर्ष 2007–08 में माह दिसंबर 07 तक प्राप्त केन्द्रांश और राज्यांश की जानकारी निम्नानुसार हैः–

(रू. लाख में)

क्र.	वर्ष	प्राप्त केन्द्रांश	प्राप्त राज्यांश	योग
1	2002–03	683.93	227.97	911.90
2	2003–04	818.32	149.71	968.03
3	2004–05	931.49	310.50	1241.99
4	2005–06	1096.75	365.59	1462.35
5	2006–07	2388.35	796.12	3184.47
6	2007–08	3120.18	520.03	3640.27

1.10 वर्ष 2007–08 के लिए नियत लक्ष्य और उसके विरूद्ध माह दिसम्बर 07 तक की उपलब्धि निम्नानुसार है :–

(रू. लाख में)

क्र.	कार्यक्रम का नाम	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि	भौतिक उपलब्धि
1	शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम	1200.59	24012 हितग्राही	262.42	4681 हितग्राही
2	शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (प्रशिक्षण)	1241.36	62068 प्रशिक्षणार्थी	274.86	11523
3	अधोसंरचना सहायता	278.67	–	40.45	112 सेवा केन्द्र
4	शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम	1599.74	639890 मानव दिवस	337.10	141935 मानव दिवस
5	महिला एवं बच्चो का विकास कायक्रम अनुदान	712.42	570 समूह	71.22	65 समूह
6	बचत एवं साख समूह	544.56	2178 समिति	108.98	828 समितियॉ
7	सामुदायिक संगठन घटक	934.69	–	128.08	436 वालवाड़ियॉ
8	सूचना शिक्षा एवं संप्रेषण	–	–	13.08	–
9	स्थानीय निकायों का सुदृढ़ीकरण	–	–	27.03	–
10	प्रशासकीय व्यय	–	–	199.06	–
	योग–	6512.03	–	1462.28	–

योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि के संकेत के अनुसार लक्ष्यों का निर्धारिण किया जाता है ।

2. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन

2.1 भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा माह दिसंबर, 2005 में देश के बड़े शहरों में संयुक्त रूप से लागू जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत प्रदेश के निम्नांकित **शहरों का चयन** हुआ है :–

1. इंदौर
2. भोपाल
3. जबलपुर
4. उज्जैन (हेरीटेज शहरों की श्रेणी में)

2.2 दिशा–निर्देशों के अनुसार मिशन के समग्र पर्यवेक्षण के लिये माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में विभागीय आदेश दिनांक 7.2.2007 से राज्य स्तरीय परिचालन समिति का गठन किया गया है । इसके साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 3.11.2006 से मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय साधिकार समिति का गठन भी किया गया है ।

2.3 मिशन के क्रियान्वयन के लिए संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास **राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी** मनोनीत है ।

2.4 मिशन शहरों के निम्नानुसार **सिटी डेवलपमेंट प्लान** भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किये गये है :–

क्रमांक	शहर	परियोजना राशि
1	इंदौर	2745.75 करोड़
2	भोपाल	2153.00 करोड़
3	जबलपुर	1929.00 करोड़
4	उज्जैन	1237.73 करोड

2.5 मिशन के अंतर्गत भारत सरकार से अभी तक विभिन्न शहरों की रूपये 1552.85 करोड़ की लागत की कुल 33 परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है । शहरवार स्वीकृत परियोजनायें एवं उनकी लागत निम्नानुसार है:–

शहर का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	लागत (राशि करोड़ में)
भोपाल	17	651.86
इंदौर	9	647.30
जबलपुर	6	236.28
उज्जैन	1	17.41
योग	33	1552.85

उपर्युक्त के अतिरिक्त राज्य स्तरीय साधिकार समिति/परिचालन समिति के अनुमोदन से भारत सरकार को अग्रेषित की गयी विभिन्न शहरों की लागत रू. 839 करोड़ की कुल 12 परियोजनाएं भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन है ।

2.6 विभाग द्वारा वर्ष 2007–08 के बजट में मिशन मद में रूपये 296.89 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

2.7 भारत सरकार द्वारा मिशन के दिशा–निर्देशों में राज्य सरकारों तथा नगरीय निकायों से विभिन्न सुधार कार्यक्रमों को लागू करने की अपेक्षा की गयी है । मध्यप्रदेश में इनमें से अनेक सुधार कार्यक्रमों को पहले ही लागू किया जा चुका है और शेष कार्यक्रमों के संबंध में सुनियोजित कार्ययोजना के तहत कार्रवाई जारी है ।

2.8 मिशन के अंतर्गत अभी तक स्वीकृत परियोजनायें निम्नानुसार हैः–

(राशि रू. लाख में)

स. क्र.	उपमिशन	वर्ष	शहर/कियान्वयन एजेंसी	परियोजना	लागत
1	**शहरी अधोसंरचना एवं सु–शासन**	2005–06	न.नि. भोपाल	गैस प्रभावित क्षेत्रों में जलप्रदाय	1418.00
2.		''	न.नि. इंदौर	यशवत सागर जल आर्वधन योजना	2375.00
3		2006–07	न.नि. भोपाल	नाला निर्माण (स्टार्म वाटर ड्रेन चेनेलाईजेशन आफ नाला)	3057.00
4		''	न.नि. भोपाल	रिन्यूअल आफ बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर इन स्क्रेप मार्ट	811.04
5		''	न.नि. भोपाल	रिन्यूअल आफ बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर इन एम.पी. नगर	1894.00
6		''	न.नि. भोपाल	बी.आर.टी.एस. प्रोजेक्ट	23776.00
7		''	न.नि. इंदौर	बी.आर.टी.एस. (पायलेट प्रोजेक्ट)	9845.00
8		''	न.नि. इंदौर	सीवरेज प्रोजेक्ट	30717.00
9		''	न.नि. इंदौर	कन्सट्रक्शन आफ 8 फीडर रोड	4083.35
10		''	इंदौर विकास प्राधिकरण	डेवलपमेंट आफ लिंक रोड फ्राम व्हाईट चर्च टू बायपास रोड	1966.34
11		''	इंदौर विकास प्राधिकरण	डेवलपमेंट आफ मास्टर प्लान लिंक रोड एम.आर. 9	3974.64
12		''	न.नि. जबलपुर	सीवरेज निर्माण फेस –I	7801.00
13		''	न.नि. जबलपुर	सीवरेज निर्माण फेस –II	7081.00
14		2007–08	न.नि.इंदौर	सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट	4324.66
				योग (अ)	**103124.03**
15	**शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं**	2005–06	न.नि.भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ श्यामनगर, ऋषिनगर स्लम	1600.00

16			न.नि.भोपाल	इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट आफ इन्द्रपुरी, कल्पना नगर (स्लम रीहेबिलीटेशन स्कीम)	254.00
17			न.नि.भोपाल	स्लम रीहेबिलीटेशन आफ रोशनपुरा	4686.88
18			न.नि.भोपाल	डेवलपमेंट आफ वीकली मार्केट एट कोटरा (व्हाय रीहेबिलीटेशन एक्सेसटिंग स्लम)	936.00
19		2006–07	न.नि.भोपाल	स्लम एंड पुअर लोकेलिटी इन्टीग्रेटेड एरिया डेवलपमेंट स्कीम फेस– I	4027.00
20			न.नि.भोपाल	स्लम एंड पुअर लोकेलिटी इन्टीग्रेटेड एरिया डेवलपमेंट स्कीम फेस– II	4191.00
21			न.नि.भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ बाबा नगर, शाहपुरा	2661.37
22			न.नि.भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ गंगा नगर एंड आराधना नगर एट कोटरा	2473.33
23			न.नि.भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ अर्जुन नगर, भीम नगर, मद्रासी कालोनी, राहुल नगर	5263.29
24			न.नि.भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ इन्द्रा नगर फेस – I	1710.00
25			न.नि.भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ इन्द्रा नगर फेस – II	1342.87
26			न.नि.भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ बाजपेई नगर, पुलिस लाईन, कोहेफिजां, अय्यूब नगर, माता मढ़िया एंड बेलार कालोनी	5084.00
27			इंदौर विकास प्राधिकरण	स्लम रीहेबिलीटेशन एवं रीसेटेलमेंट स्कीम नंबर 134	1242.40
28			न.नि. इंदौर	स्लम रीडेवलपमेंट एट डिफरेंट लोकेशन इन इंदौर	6201.96
29			न.नि. जबलपुर	हाउसेस विथ बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (लालकुआं)	2472.00
30			न.नि. जबलपुर	हाउसेस विथ बेसिक इन्फ्राक्स्ट्रक्चर (बागरा दफाई)	2314.00
31			न.नि. जबलपुर	हाउसेस विथ बेसिक इन्फ्रास्क्ट्रक्चर फेसिलिटी रीहेबिलीटेशन एंड रीसेटेलमेंट आफ बसोर मोहल्ला, चौधरी मोहल्ला और बल्दूकोरी की दफाई	2543.00
32			न.नि. जबलपुर	रीहेबिलीटेशन एंड रीसेटेलमेंट आफ छुई खदान एंड एरिया बिहांइड बोर्न कंपनी	1417.00
33		2007–08	न.नि. उज्जैन	स्लम रीहेबिलीटेशन स्कीम	1740.91
				योग (ब)	**52161.01**
				कुल योग (अ+ब)	**155285.04**

2.9 भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा योजना के क्रियान्वयन में तकनीकी सहयोग देने के उद्देश्य से नोडल एजेन्सी के स्तर पर प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट और शहरों के स्तर पर प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन यूनिट उपलब्ध कराने की नीति तैयार की गयी है । मध्यप्रदेश ने इस नीति के तहत देश में सर्वप्रथम प्रोग्राम मेनेजमेंट

यूनिट/प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन यूनिट के गठन की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त की है तथा दोनों स्तर पर इसके इकाईयों के गठन की कार्रवाई जारी है ।

3 एकीकृत आवास एवं गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम

यह योजना केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम और बाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना को समन्वित कर नये रूप में लागू की गई है जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में गंदी बस्तियों के निवासियों को समुचित आवास एवं बुनियादी अधोसंरचना प्रदान करते हुए गंदी बस्तियों का विकास करना है । यह योजना जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के लिए चयनियत मिशन शहरों को छोड़कर शेष सभी शहरों में लागू की गई है । भारत सरकार द्वारा माह जनवरी, 2008 तक रूपये 24188.02 लाख लागत की 33 परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं । स्वीकृत परियोजनाओं के तहत 16795 आवासों का निर्माण एवं अधोसंरचना विकास किया जाएगा ।

निकायवार स्वीकृत परियोजनाएं निम्नानुसार है :–

स. क्र.	शहर	परियोजना का नाम	आवासों की संख्या	लागत (रू. लाख में)
1	2	3	4	5
1.	विदिशा	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	70	184.98
2.	गंजबासौदा	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	60	170.51
3.	सिरोंज पार्ट 1	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	48	160.95
4.	सिरोंज पार्ट 2	मूलभूत अधोसंरचना	–	18.89
5.	लटेरी	शहरी गरीबों को मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	–	44.87
6.	ग्वालियर	शहरी गरीबों की आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	4576	5362.02
7.	देवास पार्ट 1	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	1216	1715.32
8.	देवास पार्ट 2	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	1384	1932.57
9.	खंडवा पार्ट 1	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	1296	1738.39
10.	खंडवा पार्ट 2	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	812	1073.96
11.	दमोह	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	104	229.83
12.	बालाघाट	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	966	1297.95

13.	बेरसिया	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	160	174.80
14.	कुरवाई	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	48	95.91
15.	कटनी	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	2182	2918.14
16.	नरसिंहपुर	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	651	839.88
17.	मझौली	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	140	215.31
18.	बरेला	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	120	225.47
19.	पाटन	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	120	227.52
20.	शाहपुर	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	104	153.89
21.	देपालपुर	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	96	399.81
22.	पानसेमल	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	128	293.87
23.	खुजनेर	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	100	241.25
24.	बेटमा	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	96	313.94
25.	गौतमपुरा	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	96	395.70
26.	कटंगी	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	160	249.98
27.	पेटलावद	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	240	342.33
28.	इटारसी	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	153	363.53
29.	मण्डीदीप	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	180	330.59
30.	होशंगाबाद	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	297	517.55
31.	ओरछा	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	192	344.73
32.	बुरहानपुर	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	833	1365.85
33.	जावरा	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	167	247.73
		योग :–	**16795**	**24188.02**

4 नेशनल अर्बन इन्फारमेशन सिस्टम (NUIS) योजना

4.1 भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा देश के 137 शहरों में जी.आई.एस. डाटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से ''नेशनल अर्बन इन्फारमेशन सिस्टम'' (एनयूआईएस) योजना लागू की गयी है । इसके अतिरिक्त 24 शहरों में यूटीलिटी मेंपिंग का कार्य भी लिया गया है । इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के निम्नांकित शहरों का चयन किया गया है :–

1. देवास
2. ग्वालियर
3. जबलपुर
4. सागर
5. सतना
6. उज्जैन
7. भोपाल (यूटीलिटी मेंपिंग के लिये)

4.2 योजना के अन्तर्गत लिये जाने वाले कार्यो के लिये भारत सरकार द्वारा 75 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जावेगा तथा शेष 25 प्रतिशत व्यय भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा । उपकरणों आदि के क्रय पर होने वाला व्यय 64:36 के अनुपात में केन्द्र /राज्य शासन द्वारा वहन किया जाना है ।

4.3 योजना के क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश को राज्य स्तरीय नोडल ऐजेन्सी मनोनीत किया गया है । योजना के पर्यवेक्षण के लिये प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है ।

4.4 योजनान्तर्गत राज्यांश के लिये रूपये 10.00 लाख का प्रावधान वर्ष 2007–08 के विभागीय बजट में किया गया है ।

योजना के अन्तर्गत जी.आई.एस. सर्वेक्षण का कार्य भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जा रहा है ।

(ब) प्रादेशिक योजनाएं

1 शहरी क्षेत्रों के लिये मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम संचालन के लिये पंचायत एवं ग्रामीण विकास को नोडल विभाग घोषित किया गया है ।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार मेनू में रोटी, सब्जी, दाल और चावल, दाल सब्जी दिया जाता है । गेंहू प्रचलन क्षेत्र में रूपये 2.00 प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन (गेंहू/ चावल छोडकर) भोजन पकाने, मसाला आदि सामग्री पर व्यय निर्धारित किया गया है । भारत सरकार द्वारा रूपये 1.50 प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन के मान से और राज्य सरकार द्वारा रूपये 0.50 प्रति विद्यार्थी प्रति दिन के मान से शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में व्यय किया जावेगा । शिक्षा सत्र वर्ष

2007–08 में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत रूपये 1871.52 लाख का प्रावधान विभागीय बजट में किया गया है ।

भोपाल, जबलपुर और इन्दौर में नॉदी फाउन्डेशन हैदराबाद संस्था द्वारा शहरी क्षेत्रों के शासकीय/शासन से सहायता प्राप्त विद्यालयों में भोजन वितरण किया जा रहा है । उज्जैन नगर सीमा में ''इस्कान'' संस्था द्वारा भोजन वितरण का कार्य किया जा रहा है । भोपाल, इन्दौर, जबलपुर और उज्जैन के लिये खाद्य सामग्री के परिवहन हेतु रूपये 0.14 प्रति छात्र प्रतिदिन की दर से योजनान्तर्गत अतिरिक्त आवंटन दिया जाता है ।

वित्तीय वर्ष में माह दिसम्बर, 2007 तक समस्त नगरीय निकायों को रूपये 890.67 लाख आवंटन दिया जा चुका है ।

2 नगरों की जल प्रदाय योजनाएं

2.1 सामान्य जल आवर्धन योजना– नगरों की सामान्य जल आवर्धन योजना के अंतर्गत 20 हजार से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए शासन का अनुदान 30 प्रतिशत् और शासन/वित्तीय संस्था का ऋण 70 प्रतिशत् के अनुपात में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जबकि 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों के लिए शासन का अनुदान 70 प्रतिशत और शासन/ वित्तीय संस्था से 30 प्रतिशत् राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है । 40 योजनाएं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल एवं देवास शहरों की योजनाएं संबंधित नगर निगमों तथा हरदा, दतिया एवं दमोह नगरपालिका की योजनाए संबंधित नगरपालिकाओं द्वारा क्रियान्वित की जा रहीं है ।

2.2 केन्द्र प्रवर्तित गतिवर्धित जल प्रदाय योजना– यह योजना 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों के लिए है । परन्तु अब उक्त योजना यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. में सम्मिलित हो गई है । योजना का वित्तीय स्वरूप निम्नानुसार था :–

1. भारत सरकार से 50 प्रतिशत् अनुदान
2. राज्य सरकार से 45 प्रतिशत् अनुदान
3. संबंधित निकाय का अंशदान 5 प्रतिशत्

इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 155 नगरों का चयन किया गया था । इनमें से 152 नगरों की योजनायें भारत सरकार को तकनीकी अनुमोदन के लिए भेजी गई थी, जिनमें से 147 नगरों की योजनाओं का तकनीकी अनुमोदन भारत सरकार से प्राप्त हो चुका है । 05 नगरों की योजनाओं का तकनीकी अनुमोदन भारत सरकार से प्राप्त होना है । स्वीकृत योजनाओं में से 147 योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है तथा अभी तक कुल 86 नगरों की योजनांए पूर्ण होकर संचालित है । नगरीय निकाय द्वारा वर्तमान में क्रियान्वित की जा रही योजनाएं 12 हैं, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी द्वारा क्रियान्वित की जा रहीं योजनाएं 49 हैं । अब कोई नई योजना न तो ली गई हैं और न ही कोई राशि प्राप्त हुई है ।

2.3 केन्द्र प्रवर्तित छोटे एवं मझौले शहरों की एकीकृत अधोसंरचना योजना (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.):–

केन्द्र सरकार की केन्द्रीय गतिवर्धित जल प्रदाय योजनाओं में यू.आई.डी.एस. एस.एम.टी. के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से 80 प्रतिशत एवं राज्य सरकार से 10 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान किया गया है । शेष 10 प्रतिशत राशि नगरीय निकाय को स्वयं वहन करना होती है । इन योजनाओं के अन्तर्गत नगरों की जल प्रदाय योजनाएं, सीवरेज योजनाएं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजनाएं तथा अन्य अधोसंरचना विकास के कार्य किए जा सकते हैं । परन्तु प्राथमिकता के आधार पर केन्द्र शासन ने जल प्रदाय योजना एवं कुछ नगरों की सीवरेज योजनाएं तथा तीन निकायों की सड़क निर्माण की योजनाएं स्वीकृत की हैं ।

वर्ष 2005 से 2012 तक रूपये 438 करोड़ का प्रावधान, केन्द्र सरकार ने किया है । जिसके विरूद्ध अभी तक विदिशा, गढाकोटा, दमोह, टीकमगढ, मलाजखण्ड, इटारसी, बुधनी, सागर, रेंहटी, रेहली, छतरपुर, ब्यावरा, रीवा, सिरोंज, सनावद, शुजालपुर, मंदसौर, पन्ना, डबरा, सीहोर और रतलाम की योजनाओं में राज्य सरकार की साधिकार समिति से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और केन्द्र शासन से अनुदान भी प्राप्त हो चुका है । इसके अतिरिक्त राज्य साधिकार समिति द्वारा आगर, नसरूल्लागंज, ग्वालियर, देवास, खण्डवा, शाजापुर, शिवपुरी, हरदा, आष्टा, होशंगाबाद और कटनी की योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं, परन्तु केन्द्र शासन का अंशदान प्राप्त होने पर क्रियान्वयन किया जावेगा । राज्य सरकार द्वारा केन्द्र शासन से इन योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रांश बढ़ाने का अनुरोध किया गया है ।

2.4 बरसात के पानी का भूमिगत संरक्षण– भूमि विकास नियम 1984 में 7 अप्रैल 2000 को किये गये संशोधन के अनुसार 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र तक के भूखण्डों में भवन निर्माण की अनुज्ञा के साथ ''रेन वाटर हार्वेस्टिंग'' का प्रावधान अनिवार्य किया गया था जिसे संशोधित कर मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग की विभागीय अधिसूचना दिनांक 6 जून 2006 के द्वारा मध्यप्रदेश भूमि विकास अधिनियम 1984 के नियम 78 के उपनियम 4 'क' में संशोधित कर 140 वर्ग मीटर, से अधिक क्षेत्र के भूखण्डों में भवन निर्माण की अनुज्ञा के साथ ''रेन वाटर हार्वेस्टिंग'' की व्यवस्था को अनिवार्य किया गया है।

नगरीय निकायों के क्षेत्रों में जिन भवनों में ''रेन वाटर हार्वेस्टिंग'' की व्यवस्था की जावेगी, उन भवनों में प्रथम बार (एक वर्ष) के लिये सम्पत्ति कर में 6 प्रतिशत की छूट दिये जाने का प्रावधान दिनांक 23.3.2001 से लागू किया गया है । संचालनालय के पत्र क्रमांक यां.प्र./7/2007/288 भोपाल,दिनांक 22.1.2007 द्वारा जिन भवनों में ''रेन वाटर हार्वेस्टिंग'' विकसित नहीं की गई है उन भवन स्वामियों के विरूद्ध अधिनियम /नियम के प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि इस प्रणाली को अधिक से अधिक विकसित कराई जा सके तथा अधिक से अधिक जल का भू भरण हो सके ।

नगरीय निकायों द्वारा जारी की गई भवन अनुज्ञा के साथ 41,241 भवनों में ''रेन वाटर हार्वेस्टिंग'' के प्रावधान कर भवन अनुज्ञाएं जारी की गई है, जिनमें से अब तक 7,550 भवनों में ''रेन वाटर हार्वेस्टिंग'' का प्रावधान कर लिया गया हैं ।

(स) बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं

1- ,f'k;kbZ fodkl cSd lgk;frr ifj;kstuk & "ifj;kstuk mn;"

1.1 प्रदेश के प्रमुख शहरों में पेयजल आवश्यकता की पूर्ति एवं पर्यावरणीय सुधार हेतु भारत सरकार के माध्यम से एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) से नगरीय निकायों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त की जा रही है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर शहरो को चुना गया है।

1.2 योजना का मुख्य उद्देश्य इन शहरों में पर्यावरण,अधोसंरचना एवं सेवाओं में सुधार जैसेः जल आपूर्ति व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, मल–जल निकासी प्रणाली, मल–जल शोधन संयत्र लगाने,ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि के साथ–साथ जन भागीदारी तथा सामुदायिक विकास करना है।

1.3 ए.डी.बी. द्वारा इस योजना में होने वाले व्यय का आंकलन 275.00 मिलियन यू.एस. डालर किया गया है जिसके वित्त पोषण हेतु ए.डी.बी. द्वारा 181 मिलियन डॉलर, यू. एन.हेबीटेट से 0.5 मिलियन डॉलर, राज्य सरकार का अंशदान रूपये 228 करोड़ (45.9 मिलियन डॉलर) तथा संबंधित स्थानीय निकायों से रूपये 236 करोड़ (47.6 मिलियन डॉलर) की हिस्सेदारी होगी।

1.4 ए.डी.बी. से प्राप्त होने वाली राशि 181 मिलियन यू.एस.डॉलर (66 प्रतिशत) भारत सरकार के माध्यम से राज्य सरकार को 70 प्रतिशत ऋण एवं 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में उपलब्ध होगा । ऋण राशि ब्याज सहित 20 वर्ष (निर्माण अवधि के पांच वर्ष सम्मिलित कर) में वापिस करनी होगी। योजना की क्रियान्वयन अवधि पांच वर्ष होगी। प्राप्त होने वाले ऋण पर वर्तमान में 9.0 प्रतिशत ब्याज देय है।

1.5 जल संरक्षण, स्वच्छता एवं पर्यावरणीय सुधार संबंधी जागरूकता हेतु प्रिंट और दृश्यश्रव्य सामग्री का निर्माण एवं सूचना, शिक्षा व प्रसार गतिविधियॉ जैसेः– ब्रॉशर, पेम्फलेट्स, ऑडियो स्किट व जिंगल, सजीव फोन–इन कार्यक्रम, टॉक शो, वृत्तचित्र, प्रश्नोत्तरी, नुक्कड नाटक, प्रदर्शनी, रैली, चकाचक अभियान, चलित वाहन, जन प्रतिनिधियों हेतु कार्यशालाएं आदि का आयोजन किया गया ।

1.6 यू.एन.हेबीटेट की सहायता से क्रियान्वयित ''वाटर फार एशियन सिटिज'' कार्यक्रम के अंतर्गत की गयी गतिविधियों की प्रगति निम्नानुसार हैः–

- भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर एवं जबलपुर में SESI कार्यक्रम के अतंर्गत चयनित 63 में से 16 बस्तियों को खुले शौच से मुक्त घोषित किया गया।
- जबलपुर, ग्वालियर एवं इन्दौर की एक–एक बस्ती में समुदाय प्रबंधित जलापूर्ति योजना का क्रियान्वयन एवं ग्वालियर की एक बस्ती में समुदाय प्रबंधित मल–जल निकासी योजना का क्रियान्वयन ।

- मूल्य आधारित जल, स्वच्छता एवं सफाई–शिक्षा हेतु 25 संदर्भ शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। साथ ही 200 शिक्षकों का उन्मुखीकरण किया गया। चारो शहरों में निर्मित वाटसन क्लासरूम मे लगभग 400 विद्यालयों के विद्यार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। वॉटसन शिक्षा को वृहद स्तर पर प्रसार हेतु रणनीति पर क्रियान्वयन प्रारंभ, जिसके अंतर्गत 250 विद्यालय प्रति नगर तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया।

1.7 नगरीय निकायों के जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की क्षमता विकास हेतु यू.एन. हेबीटेट के सहयोग से निम्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गए, जिनमे वर्ष 2007–08 में लगभग 266 व्यक्तियों (166 अधिकारी एवं 100 जनप्रतिनिधि) ने दिसंबर 07 तक हिस्सा लिया। इस प्रकार अभी तक कुल 570 व्यक्ति (375 अधिकारी एवं 195 जन प्रतिनिधि) लाभान्वित हुए ।

1.8 AIF/CIF (क्षेत्र सुधार निधि एवं सामुदायिक पहल निधि) के अंर्तगत की जाने वाली जलापूर्ति, स्वच्छता सेवा आदि संबंधी गतिविधियों हेतु 40 बस्तियों व 40 सामुदायिक शौचालयों का चयन एवं सर्वे कार्य प्रारंभ किया गया है ।

1.9 जेण्डर को मुख्य धारा में लाने हेतु कार्य योजना का विकास, Man days (Months) के स्थान पर Work days (Months) शब्दावली का उपयोग शुरू किया गया है ।

1.10 वित्तीय वर्ष 2007–08 में व्यय की गई राशि :

परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2007–08 अंतर्गत माह दिसम्बर 2007 तक कुल रूपये 123.07 करोड़ का व्यय (नगर निगम के अंशदान सहित) किया गया है तथा ए.डी. बी. से इस अवधि में कुल रू. 61.61 करोड़ प्राप्त हुये है। वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए रू. 412.00 करोड़ व्यय (नगर निगम के अंशदान सहित) का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

1.11 परियोजना क्रियान्वयन हेतु विभिन्न कार्यों के संकल्पना प्रतिवेदन, विस्तृत रुपांकन प्रतिवेदन व निविदा प्रपत्र तैयार कर तकनीकी निष्पादन उपरान्त निविदाएं आमंत्रित की गई एवं कार्यादेश जारी किए गए, जिसका विस्तृत विवरण दिनांक 31.12.07 तक निम्नानुसार हैः–

क्र.	विवरण	पैकेज की संख्या	अनुमानित लागत (रू. करोड़ में)
1	कुल पैकेज	90	1080.14
2	संकल्पना प्रतिवेदन	85	1042.14
3	परियोजना प्रतिवेदन एवं निविदा आमत्रंण प्रपत्र	85	1042.14
4	कार्यादेश जारी / कार्य प्रगति पर	(72+5)=77	956.00
5	कार्य पूर्ण	5	4.98

1.12 परियोजना में क्रियान्वित किये जाने वाले मुख्य भौतिक कार्य निम्नानुसार हैः–

1. भोपाल

जल प्रदाय व्यवस्था – शहर में जलप्रदाय व्यवस्था हेतु विद्यमान 7 जल शोधन संयंत्र तथा 7 पम्पिंग स्टेशनों का सुदृढ़ीकरण कार्य, जल मात्रा की गणना हेतु 13 बल्क मीटर, 1820 बल्क कंज्यूमर मीटर की स्थापना, 6 ओव्हर हेड टेंक तथा एक सतही टेंक का निर्माण, तथा 220 km जल वितरण प्रणाली को बिछाने का कार्य सम्पादित किया जाना है।

मल–जल निकासी – 200 से 1000 mm व्यास की 188 km सीवर नेटवर्क बिछाना तथा 3 km (1000 mm व्यास) की फोर्स मेन, एक सीवेज सम्पवेल का निर्माण, 2.5 km का सीवेज उपचार उपरान्त एफ्ल्यूऐन्ट चैनल तथा रोड बनाना आदि के कार्य किये जाने है ।

वर्षा जल निकासी – 3.2 Km पातरा नाले पर ड्रेन का निर्माण ।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन – 1 बुलडोजर, 3 जे. सी. बी. मशीन, 6 डम्पर, 7 ट्रक आधारित कम्पेक्टर, 450 छोटे कन्टेनर, 11 डम्पर प्लेसर वाहन, 50 बडे कन्टेनर, 600 कन्टेनर सहित व्हील बेरोज, 2 मेकेनिकल रोड स्वीपर, 2 छोटी जे. सी. बी. मशीन, 2 आवारा पशु वाहन, 20 कचरा संग्रहण वाहन (छोटा), 6 सीवर क्लीनिंग मशीन क्रय करना ।

2. ग्वालियर

जल प्रदाय व्यवस्था – शहर में जलप्रदाय व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने हेतु 2 जल शोधन संयंत्रो एवं 2 पम्प हाउसों का निर्माण, 42 किमी. पम्पिंगमैन बिछाना, जल मात्रा की गणना हेतु 25 बल्क मीटर, 1088 बल्क कंज्यूमर मीटर, 11 ओव्हर हेड टेंक तथा 4 सतही टैक का निर्माण, तथा 306 km जल वितरण प्रणाली को बिछाने का कार्य सम्पादित किया जाना है ।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन – 3 सीवर क्लीनिंग मशीन क्रय करना ।

3. इन्दौर

जल प्रदाय व्यवस्था – शहर में जलप्रदाय व्यवस्था हेतु विद्यमान 1 जल शोधन संयंत्र तथा 5 पम्पिंग स्टेशनों का सुदृढ़ीकरण कार्य नर्मदा फेज–III के अंतर्गत, 900 एम.एल.डी. इनटेक वेल का निर्माण, 363 एम.एल.डी. जल शोधन संयंत्र तथा 3 पम्पिंग स्टेशन का निर्माण, 2 सबस्टेशन 132 केवी के तथा एक सबस्टेशन 33 केवी का बनाना है। 15 किमी. पम्पिंगमैन तथा 135 किमी. ग्रेव्हीटी मैन बिछाना, जल मात्रा की गणना हेतु 76 बल्क मीटर, की स्थापना, 21 ओव्हर टेंक का निर्माण किया जाना है तथा 1000 km जल

वितरण प्रणाली को बिछाने का कार्य संपादित किया जाना है ।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन – 1 बुलडोजर, 3 जे. सी. बी. मशीन, 4 डम्पर, 4 ट्रक आधारित कम्पेक्टर, 320 छोटे कन्टेनर, 20 डम्पर प्लेसर वाहन, 160 बडे कन्टेनर, 320 कन्टेनर सहित व्हील बेरोज, 160 तीन पहिया साईकिल रिक्शा (कन्टेनर सहित), 1 मेकेनिकल रोड स्वीपर, 3 सीवर क्लीनिंग मशीन क्रय करना ।

4. जबलपुर

जल प्रदाय व्यवस्था – परियट टैंक के स्पिल चैनल के सुदृढीकरण का कार्य करना है। 220 एम.एल.डी. क्षमता का इनटेक वेल बनाना तथा जल शोधन संयंत्र का निर्माण, 2 किमी. पम्पिंगमैन 2 जल शोधन संयंत्र का निर्माण, जल मात्रा की गणना हेतु 58 बल्क मीटर, 463 बल्क कंज्यूमर मीटर की स्थापना, 7 ओव्हर टेंक तथा एक सतही टेंक का निर्माण, 26 km पम्पिंगमैन बिछाना तथा 504 km जल वितरण प्रणाली को विछाने का कार्य सम्पादित किया जाना है।

मल–जल निकासी – 193 km सीवर नेटवर्क बिछाना 50 एम.एल.डी. सीवेज ट्रिटमेन्ट प्लांट का निर्माण कार्य करना है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन – 304 छोटे कन्टेनर, 103 बडे कन्टेनर, 285 कन्टेनर सहित व्हील बेरोज, 90 कन्टेनर रहित व्हील बेरोज, 111 तीन पहिया साईकिल रिक्शा (कन्टेनर सहित), 1 मेकेनिकल रोड स्वीपर क्रय करना ।

1.13 परियोजना में ठोस अपशिष्ट निष्पादन एवं सीवर लाइन की सफाई हेतु विभिन्न नगरों की आवश्यकता के अनुरूप लगभग 17 करोड़ मूल्य के मशीन एवं अन्य संयंत्रों को क्रय कर साफ सफाई तथा पर्यावरणीय सुधार में उपयोग किये जा रहे हैं ।

2 गरीबों के लिये शहरी सेवा कार्यक्रम

प्रदेश के भोपाल, इन्दौर, जबलपुर और ग्वालियर शहरों में डी.एफ.आई.डी.सहायतित ''गरीबों के लिये शहरी सेवा कार्यक्रम'' का क्रियान्वयन माह सितम्बर 06 से प्रारंभ किया गया है । लगभग रूपये 350.00 करोड़ की लागत से कार्यक्रम के अन्तर्गत आगामी 5 वर्षो में चयनित शहरों में मुख्य रूप से निम्नांकित कार्य किये जायेगें :–

2.1.1 शहरी गरीबों को भागीदार बनाते हुए नगर नियोजन द्वारा प्रबंधन की प्रक्रिया को कार्यरूप देना ।

2.1.2 लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए गंदी बस्तियों में पर्यावरण अधोसंरचना में सुधार की प्रक्रिया लागू करना और इससे गरीबों को सुविधाओं के संधारण और संचालन में भागीदार बनाना ।

2.1.3 राज्य और नगर पालिका स्तर पर शहरी गरीबों को मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं के लिये सशक्त संस्थागत ढांचा तैयार करना ।

2.1.4 शहरों को उनके विकास और वृद्धि दर के अनुरूप अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करने के लिये बेहतर नीतिगत, वैधानिक और संस्थागत वातावरण तैयार कराना ।

2.1.5 शहरी गरीबों को पीने का साफ पानी और स्वच्छता सहित बुनियादी सेवायें उपलब्ध कराने में सहयोग देना।

2.1.6 राज्य तथा नगर पालिक निगमों को उनके कार्यो के प्रति उत्तरदायी, प्रभावी और जनमानस की आवश्यकताओं के प्रति पारदर्शी तथा सहभागी बनाने हेतु उनके अमले का दक्षता उन्नयन ।

2.2 परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य सरकार तथा चयनित शहरों को परामर्शी सेवायें उपलब्ध कराने के लिये ब्रिटिश सरकार तथा जी.एच.के. इन्टरनेशनल, (यू.के.) को तकनीकी सहायता का कार्य सौंपा गया है । कन्सलटेंट्स की टीम ने प्रदेश में काम करना प्रारंभ कर दिया है ।

2.3 कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये मुख्य सचिव, म.प्र. शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय साधिकार समिति गठित की गई है तथा संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास के अन्तर्गत योजना के क्रियान्वयन के लिये ''नगरपालिक समर्थन इकाई'' (MSU) का गठन किया जा चुका है ।

2.4 गरीबों के लिये शहरी सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर प्रथम चरण में लिये जाने वाले कार्यो की पहचान करने में नगरीय संस्थाओं को पूरी तरह भागीदार बनाया गया है तथा शहरों के स्तर पर सभी हितबद्ध पक्षों से विचार–विमर्श उपरांत ''त्वरित कार्य योजना'' (Early Action Plan) को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

(द) अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं

1 स्ट्रीट वेंडर योजना

भारत सरकार, शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा शहरों में फेरी लगाकर व्यवसाय करने वाले (नेशनल कन्सल्टेशन आफ स्ट्रीट वेंडर्स) लोगों के लिए, वर्ष 2004 में नीति तैयार की गई है । राज्य शासन ने इस नीति के अनुसरण में, शहरों में गरीब तबके के ऐसे लोगों के लिए जो फेरी लगाकर या सड़कों के फुटपाथ, गलियों के नुक्कड़ आदि पर अस्थाई स्टाल लगाकर रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं का विक्रय कर जीविकोपार्जन करते हैं, योजना बनाकर लागू करने का निर्णय लिया गया है । इस योजना में नगरों में कराये गये सर्वेक्षण में प्रदेश के 48 जिलों में 94,080 फेरीवालो की पहचान की गई है तथा इनमें से अभी तक 83,312 फेरीवालों को पहचान पत्र जारी किये जा चुके हैं ।

शहरी फेरीवालों को व्यस्थित करने के लिए प्रदेश में लगभग 1000 हाकर्स जोन/कार्नर विकसित करने का प्रस्ताव है ।

2 बारहवां वित्त आयोग

बारहवें वित्त आयोग द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों के लिये वर्ष 2005–06 से वर्ष 2009–10 की अवधि के लिए रूपये 361.00 करोड़ अनुदान की अनुशंसा की गई है । यह राशि प्रतिवर्ष रूपये 72.20 करोड के मान से नगरीय निकायों को उनके क्षेत्र में ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन, डाटाबेस निर्माण एवं जल प्रदाय आदि के कार्यो के लिए उपलब्ध कराई जानी है ।

भारत सरकार से वर्ष 07–08 में प्राप्त होने वाली राशि रूपये 72.20 करोड़ में से प्रथम किश्त की राशि रूपये 36.10 करोड़ नगरीय निकायों को उपलब्ध कराई गई है । निकायों द्वारा इस राशि से वित्त आयोग की मंशा के अनुरूप कार्य सतत् रूप से किये जा रहे है ।

बारहवे वित्त आयोग ने **"विशेष समस्या"** के अन्तर्गत देवास शहर के लिए रूपये 25.00 करोड़ की योजना स्वीकृत की है । यह राशि वर्ष 2006–07 से 2009–10 तक 4 वर्षो में प्रतिवर्ष रूपये 6.25 करोड़ के हिसाब से नगर निगम देवास को उपलब्ध कराई जायेगी ।

देवास शहर के विकास के लिये बनाई गई कार्य योजना में देवास क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित हैं :–

(रू. लाख में)

1	2.25 एम.एल.डी. नागदा वाटर सप्लाय स्कीम	276.00
2	5.00 एम.एल.डी. राजानल वाटर सप्लाय स्कीम	548.75
3	देवास शहर के नालों का निर्माण	559.25
4	सडकों का निर्माण	616.00
5	देवास शहर में पाईप लाईन विस्तार	500.00
	योग	2500.00

इस योजना में वर्ष 07–08 में भारत सरकार से प्रथम किश्त के रूप में रूपये 1.56 करोड़ प्राप्त हुए है जो नगर निगम देवास को उपलब्ध कराया जायेगा ।

3 नगरीय क्षेत्रों में विशेष आवश्यकताओं एवं आकस्मिक प्रयोजनों की पूर्ति के लिये विशेष निधि का गठन

विभाग के बजट से विभिन्न मदों की राशि सामान्यतः नगरीय निकायों को पात्रतानुसार दी जाती है । ऐसी स्थिति में नगरीय निकायों को विशेष आवश्यकताओं और आकस्मिक प्रयोजनों के लिये राशि देने में कठिनाई होती थी । उक्त स्थिति को ध्यान में

रखते हुए निकायों के अनिवार्य एवं एच्छिक कर्त्तव्यों के निष्पादन के लिये अनुदान स्वीकृत करने हेतु विशेष निधि का गठन किया गया है ।

इस निधि में विभाग को आयोजनेत्तर मदों जैसे सडक मरम्मत अनुरक्षण, राज्य वित्त आयोग एवं मूलभूत सुविधा में प्रावधानित बजट राशि का 10 प्रतिशत भाग पृथक से निधि के रूप में रखा जावेगा जिससे निकायों को अनुदान दिया जावेगा । इस निधि से अनुदान स्वीकृत करने के लिए ''म.प्र. के नगरीय क्षेत्रों में विशेष आवश्यकताओं एवं आकस्मिक प्रयोजनों के लिये राशि के उपयोग के नियम 2006'' बनाये गये है । वर्ष 2007–08 में इस निधि में कुल रूपये 30.68 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है ।

(ई) कर्मचारी कल्याण योजनाएं

1 पेंशन योजना

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा नगरीय निकायों के अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिये पेंशन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में संचालनालय स्तर पर ''कन्ट्रोलर ऑफ पेंशन फॉर लोकल बॉडीज'' के नाम से एक पृथक बैंक खाता खोला गया है, जिसमें पेंशन निधि की राशि जमा की जा रही है । अधिकारियों /कर्मचारियों के वेतनमान के अधिकतम के 12 प्रतिशत् की दर से तथा नगरीय निकायों को देय चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान की 15 प्रतिशत राशि काटकर, पेंशन निधि में जमा की जाने वाली राशि दिनांक 1.4.2007 से 20 प्रतिशत कर दी गई है । आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास पेंशन निधि के नियंत्रक है ।

शासन आदेश क्रमांक एफ 4–22/2008/18–1/235 दिनांक 24.1.2008 द्वारा नगरीय निकाय के पेंशनरों को शासन आदेश दिनांक 10.4.2007 के अनुसार दिनांक 1.4.07 से पेंशन के 50 प्रतिशत के बराबर मंहगाई राहत मूल पेंशन में जोड़ने एवं उस पर 20 प्रतिशत राहत तथा 1.9.07 से 26 प्रतिशत राहत का लाभ दिये जाने का निर्णय लिया गया है । वर्तमान में म.प्र. शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–4–5/07/नियम/चार भोपाल,दिनांक 1 जनवरी 2008 द्वारा नगरीय निकाय के पेंशनरों को भी म.प्र. राज्य के पेंशनरों के समान दिनांक 1.12.07 (माह दिसम्बर 2007 की पेंशन माह जनवरी 2008 में देय) से मंहगाई राहत 32 प्रतिशत की दर से स्वीकृत कर दी गई है ।

योजना के अन्तर्गत माह जनवरी 2008 तक पेंशन/परिवार पेंशन के कुल 10,747 प्रकरण स्वीकृत किये गये हैं । इन पेंशनरों को पेंशन का नियमित भुगतान किया जा रहा है । चालू वित्त वर्ष में पेंशन के 829 प्रकरण निराकृत किये गये हैं ।

प्रदेश के नगर पालिक निगम भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और रतलाम अपने–अपने अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिये स्वयं पेंशन योजना संचालित कर रहे है ।

म.प्र. शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–9/3/2003/नियम/चार दिनांक 13.4.05 के परिपालन में नगरीय निकायों में दिनांक 1.1.2005 अथवा उसके बाद नियुक्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू कर दी गई है । इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न नगरीय निकायों में प्राप्त जानकारी के अनुसार

900 अधिकारी/कर्मचारी शामिल हैं । इस योजना के संचालन हेतु पृथक से बैंक में खाता खोलकर निकायों से प्राप्त अंशदान की राशि जमा की जा रही है । इस योजना के तहत सेवा निवृत्त/ मृत्यु होने पर कुल जमा राशि तथा उस पर 8 प्रतिशत ब्याज देने के निर्देश राज्य शासन से प्राप्त हुए है ।

2 परिवार कल्याण निधि योजना

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों के नियमित वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों के लिये माह अक्टूबर, 1987 से परिवार कल्याण निधि योजना लागू की गई है । इस योजना के अन्तर्गत संचालनालय द्वारा पृथक से ''संचालक परिवार कल्याण निधि'' खाता संधारित है, जिसमें निकाय के कर्मचारियों के मासिक अभिदान की राशि निकाय को देय चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि से कटौती कर इस खाते में जमा की जाती है । अभिदान राशि का विवरण इस प्रकार है :–

क्रमांक	कर्मचारी की श्रेणी	मासिक अभिदान राशि (रूपये में)
1	प्रथम श्रेणी	160.00
2	द्वितीय श्रेणी	120.00
3	तृतीय श्रेणी	100.00
4	चतुर्थ श्रेणी	60.00
5	सफाई कामगार	30.00

नगर निगम ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर और उज्जैन के द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन स्वयं के स्तर पर किया जा रहा है ।

उपर्युक्त योजना में शामिल अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर उसने द्वारा नामित व्यक्ति अथवा नियमों में उल्लेखित परिवार के दावेदार को अधिमान के अनुसार क्रमशः रूपये 1.60 लाख, 1.20 लाख, 1.00 लाख, 60,000/– और 30,000/– का भुगतान किया जाता है । सेवानिवृति उपरांत अभिदाता के खाते में जमा वास्तविक अभिदान राशि और उस पर देय अंशदान की राशि का भुगतान किया जाता है ।

वित्तीय वर्ष 2007–08 में अप्रैल, 2007 से दिसम्बर 2007 तक उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत कुल 707 सेवानिवृत/मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्य को लाभान्वित करते हुए कुल राशि रूपये 1,57,37,418/–का भुगतान किया गया है ।

3 सफाई कामगारों के लिए समूह बीमा योजना

प्रदेश की समस्त नगरीय निकायों में कार्यरत सफाई कामगारों के लिए समूह बीमा योजना दिनांक 1.4.1988 से प्रारंभ की गई है । योजना के प्रारंभ में सफाई कामगारों के वेतन से 31 मार्च 2006 तक रूपये 12/– और राज्य शासन का अंशदान वार्षिक रूपये 36/– की कटौती की जाती थी और सफाई कामगार की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर

रूपये 5,000/– और दुर्घटना में मृत्यु होने पर रूपये 10,000/– नामित व्यक्ति को एक मुश्त राशि भुगतान के प्रावधान थे ।

1 अप्रैल 2006 से निकायों के नियमित वेतनमान में कार्यरत सफाई कामगारों के वेतन से रूपये 60/– वार्षिक और राज्य शासन का अंशदान रूपये 180/– वार्षिक की कटौती राज्य शासन के आदेशानुसार प्रारंभ की जा चुकी है और सफाई कामगारों की सेवा में रहते हुए सामान्य मृत्यु होने पर रूपये 25,000/– और दुर्घटनाजनित मृत्यु पर रूपये 50,000/– की राशि नामांकित व्यक्ति को एक मुश्त भुगतान के प्रावधान किये गये हैं । वित्तीय वर्ष 2007–08 में अप्रैल, 2007 से दिसम्बर 2007 तक कुल 90 सफाई कामगारों को उनकी मृत्यु उपरांत नामित व्यक्तियों को राशि रूपये 16,70,000/– का भुगतान कर लाभान्वित किया गया है ।

अब इस योजना के अन्तर्गत सफाई कामगारों के वेतन से माह दिसम्बर, 2007 से रूपये 120/– वार्षिक और राज्य शासन का अंशदान प्रति हितग्राही रूपये 360/– वार्षिकी की कटौती आरंभ की गई है । इस प्रकार सफाई कामगारों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए माह जनवरी, 2008 से सेवा में रहते हुए सामान्य मृत्यु की स्थिति में रूपये 25,000/– के स्थान पर रूपये 50,000/– और दुर्घटनाजनित मृत्यु पर रूपये 50,000/– के स्थान पर रूपये 1,00,000/– संबंधित दावेदार को भुगतान करने के प्रावधान किये गये हैं ।

———————

भाग–चार

अन्य प्रशासनिक कार्य

1 विभाग का प्रशिक्षण तथा कौशल उन्नयन कार्यक्रम

1. विभाग द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों–यथा नगर पालिक निगमों के महापौर, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष, मेयर–इन–कौसिंल/ प्रसिडेंट–इन–कौसिंल के सदस्यों तथा पार्षदो को विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों, योजनाओं, लागू की गई नीतियों तथा कानूनी प्रावधानों से अवगत कराने के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है । विशेष कर महिला पार्षदों के लिये पृथक से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया ।

2. विभाग के प्रशासकीय एवं तकनीकी अधिकारियों जैसे नगर पालिक निगमों के आयुक्त, नगर पालिका परिषदों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों एवं अन्य प्रशासकीय अधिकारियों तथा यंत्रियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी समय–समय पर आयोजित किये गये है ।

3. एशियाई विकास बैंक की सहायता से प्रदेश में क्रियान्वित ''शहरी जलापूर्ति एवं पर्यावरण सुधार कार्यक्रम'' के अन्तर्गत परियोजना क्रियान्वयन के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रशिक्षण तथा कौशल उन्नयन के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये ।

4. विभाग की प्रशिक्षण तथा कौशल उन्नयन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति मुख्य रूप से निम्नांकित संस्थाओं के माध्यम से की जाती है :–

1. आर.सी.वी.पी.नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल ।
2. क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र लखनऊ ।
3. आल इंडिया इन्स्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भोपाल ।
4. एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज ऑफ इंडिया हैदराबाद ।

5. वर्ष 2007–08 में कुल 49 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये जिनमें 898 अधिकारी/कर्मचारी और 478 निर्वाचित पदाधिकारीगण इस प्रकार कुल 1376 अधिकारी/पदाधिकारी लाभान्वित हुए ।

वर्ष 2008–09 में शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ–साथ निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों–कर्मचारियों के लिए प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेगें ।

2 सूचना प्रौद्योगिकी

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा नगरीय निकायों का कम्प्यूटरीकरण करने के अभिनव प्रयास किये जा रहे है । नगरीय निकायों की 21 गतिविधियां जैसे सम्पत्ति कर, जल दर, लायसेन्स फीस आदि कम्प्यूटरीकरण हेतु चिन्हित की गयी हैं । शासन द्वारा लागू की जाने वाली ई–गर्वनेंस योजना के क्रियान्वयन हेतु भी प्रयास जारी है । इस हेतु विभाग का नेशनल ई–गर्वनेंस योजना का प्रारूप तैयार हो चुका है ।

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास के कम्प्युटरीकरण के लिये विभाग के बजट में रूपये 10.00 लाख का प्रावधान करने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है । संचालनालय की लेखा शाखा पूर्णतः कम्प्युटरीकृत है । विभाग के अधीन नगर निगम भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, उज्जैन, कटनी, जबलपुर, खण्डवा, रतलाम, देवास और सागर नगर पालिका बालाघाट, खरगौन, डबरा एवं सनावद में कम्प्युटरीकरण का कार्य प्रगति पर है । प्रदेश के नगरीय निकायों के कम्प्यूटरीकरण के लिये डी.एफ.आई.डी. से आर्थिक सहायता प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही हैं ।

3 वीडियो कान्फ्रेसिंग

नगरीय निकायों से जीवंत संपर्क बनाये रखने के लिये विभाग द्वारा जुलाई 2006 से वीडियों कान्फ्रेसिंग प्रारंभ की गई है । यह कान्फ्रेंस प्रत्येक माह में 2 बार आयोजित की जाती है । एक बार नगर निगमों के आयुक्तों को तथा दूसरी बार नगरपालिका और नगर पंचायतों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को आमंत्रित किया जाता है । इस कान्फ्रेसिंग में जन साधारण से जुडे मुद्दों को उठाया जाकर उनके समाधान की स्थिति नगरीय निकायों से प्राप्त की जाती है । योजना संबंधित प्रगति की समीक्षा भी कान्फ्रेसिंग में की जाती है। जिन निकायों में योजना की प्रगति अच्छी नहीं है उन निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को इस कान्फ्रेसिंग के माध्यम से सचेत भी किया जा रहा है ।

वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम के कारण विभाग के अधिकारी काफी सक्रिय हो गये है, और जन सामान्य की समस्याओं के निराकरण के संबंध में संवेदनशीलता भी दिखा रहे है ।

4 आन लाईन मनी ट्रांसफर

नगरीय निकायों को देय आर्थिक सहायता की राशि पूर्व में विभाग द्वारा टी.टी. के माध्यम से उनके खातों में स्थानांतरित की जाती थी, जिसमें काफी समय लगता था । उक्त प्रक्रिया को संशोधित कर अब अधिकांश नगरीय निकायों की सहायता राशि ''आन लाईन मनी ट्रांसफर'' के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जा रही है, जिससे निकायों को तत्काल राशि प्राप्त हो जाती है । शनैः शनैः यह व्यवस्था प्रदेश की सभी नगरीय निकायों में लागू करने के प्रयास किये जा रहे है ।

5. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

भारत सरकार द्वारा ''सूचना का अधिकार अधिनियम 2005'' का प्रकाशन भारत के राजपत्र (असाधारण) दिनांक 21.6.2005 मे किया गया है । उक्त अधिनियम के तहत म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा शासन स्तर पर उप सचिव को लोक सूचना अधिकारी तथा अवर सचिव को सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है । इसी प्रकार संचालनालय स्तर पर संयुक्त संचालक (प्रशासन) को लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक संचालक को सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है । शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास को तथा संचालनालय स्तर पर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

संचालनालय के साथ–साथ अधीनस्थ संभागीय कार्यालयों, नगरपालिक निगमों एवं नगरपालिका परिषदों/नगर पंचायतों के लिये भी लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्त किये गये है । संचालनालय, संभागीय कार्यालयों तथा निकायों के मैन्युअल भी तैयार किये गये है ।

''सूचना का अधिकार अधिनियम 2005'' के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के लिये संचालनालय स्तर पर एक पृथक शाखा का गठन किया गया है जिसके द्वारा प्राप्त आवेदनों का निराकरण निर्धारित समयावधि में किया जाता है । संचालनालय एवं अधीनस्थ नगरीय निकायों द्वारा अब तक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्राप्त कुल 12,958 आवेदनों में से 11,222 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है ।

6. नगरीय निकायों के निर्वाचन

वित्तीय वर्ष 2007–08 में निम्नांकित नगरीय निकायों के निर्वाचन एवं उपनिर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न कराये गये :–

सामान्य निर्वाचन

नगरपालिका परिषद	:	कोलार, पीथमपुर, राघोगढ, विजयपुर, एवं उमरिया ।
नगर पंचायत	:	अमरकंटक, माण्डव, छनेरा, जैतहरी, नरवर एवं ओंकारेश्वर ।

उप निर्वाचन (अध्यक्ष पद हेतु)

नगरपालिका परिषद	:	इटारसी एवं बालाघाट ।
नगर पंचायत	:	बम्हनीबंजर ।

7. विभागीय पदोन्नतियां, नियुक्तियां तथा स्थानान्तरण

वर्ष 2007–08 में म.प्र. लोक सेवा आयोग के माध्यम से 04 ''क'' श्रेणी मुख्य नगरपालिका अधिकारियों की ''कक'' श्रेणी के पद पर पदोन्नति विभाग द्वारा की गई है । संचालनालय के 31 तथा संभागीय कार्यालयों के 11 कर्मचारियों को क्रमोन्नति का लाभ दिया गया है । सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी वर्ष 2007–08 की स्थानान्तर नीति के अनुसार प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के कुल 433 अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये ।

8. नगरीय निकायों में अंकेक्षण की व्यवस्था

नगरीय निकायों का अंकेक्षण संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा म.प्र. द्वारा किया जाता है । वर्ष के दौरान निराकृत आपत्तियों की संभागवार जानकारी निम्नानुसार हैः–

क्र.	संभाग का नाम	कुल आडिट आपत्तियों की संख्या	निराकृत आडिट आपत्तियां	शेष
1	ग्वालियर	8,663	326	8,338
2	भोपाल	29,438	4,424	25,014
3	उज्जैन	16,945	126	16,819
4	जबलपुर	14,321	84	14,237
5	रीवा	23,480	5,567	17,913
6	इंदौर	21,770	1,174	20,596
7	सागर	19,081	2,597	16,448
योगः–		1,33,698	14,297	1,19,401

परिशिष्ट–एक

नगरीय प्रशासन और विकास संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद			भरे पद			रिक्त पद			रिमार्क
		नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	
1	आयुक्त	1	—	1	1	—	1	—	—	—	
2	संयुक्त संचालक	3	—	3	2	—	2	1	—	1	
3	संयुक्त संचालक वित्त सेवा	1	—	1	—	—	—	1	—	1	वित्त सेवा से भरा जाना है
4	उप संचालक	4	—	4	4	—	4	—	—	—	
5	सहायक संचालक	3	—	3	3	—	3	—	—	—	
6	सांख्यिकी अधिकारी	1	—	1	1	—	1	—	—	—	
7	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	3	—	3	2	—	2	1	—	1	
8	अधीक्षक	2	—	2	1	—	1	1	—	1	
9	सहायक अधीक्षक	2	—	2	2	—	2	—	—	—	
10	वरिष्ठ सहायक	1	—	1	1	—	1	—	—	—	
11	लेखा अधिकारी एस. ए.एस	1	—	1	1	—	1	—	—	—	
12	लेखा अधिकारी / कनिष्ठ लेखा अधिकारी	2	—	2	1	—	1	1	—	1	
13	चुंगी लेखापाल एस.ए.एस.	1	—	1	1	—	1	—	—	—	
14	वरिष्ठ निज सहायक ग्रेड–1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	
15	निज सहायक ग्रेड–2	2	—	2	—	—	—	2	—	2	प्रतिनियुक्ति पर जाने से 1 पद रिक्त
16	शीघ्र लेखक ग्रेड–3	5	—	5	5	—	5	—	—	—	
17	सहायक ग्रेड–1	18	—	18	16	—	16	2	—	2	
18	लेखापाल	7	—	7	5	—	5	2	—	2	
19	सहायक ग्रेड–2	15	—	15	15	—	15	—	—	—	
20	स्टेनोटायपिस्ट	3	—	3	2	—	2	1	—	1	

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद			भरे पद			रिक्त पद			रिमार्क
		नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	
21	सहायक ग्रेड–3	30	—	30	25	—	25	5	—	5	
22	वाहन चालक	5	2	7	6	—	6	—	2	2	एक नियमित वाहन चालक सांख्येत्तर होने से अधिक है ।
23	दफ्तरी	4	—	4	2	—	2	2	—	2	
24	भृत्य	16	—	16	12	—	12	4	—	4	
25	फर्राश सह चौकीदार	7	—	7	10	—	10	—	—	—	3 नियमित फर्राश सह चौकीदार सांख्योत्तर होने से अधिक है ।
26	हेल्पर	1	2	3	1	—	1	—	2	2	
	चौकीदार	—	1	1	—	—	—	—	1	1	
योगः–		139	5	144	120	—	120	23	5	28	

————————

संभागीय उप संचालक नगरीय प्रशासन और विकास कार्यालय मध्यप्रदेश

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद			भरे हुए पद			रिक्त पद			रिमार्क
		नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	
1	उप संचालक	7	—	7	7	—	7	—	—	—	
2	सहायक अधीक्षक	7	—	7	5	—	5	2	—	2	
3	सहायक वर्ग–1	21	—	21	19	—	19	2	—	2	
4	लेखापाल	7	—	7	3	—	3	4	—	4	
5	सहायक वर्ग–2	21	—	21	21	—	21	—	—	—	
6	सहायक वर्ग–3	28	—	28	23	—	23	5	—	5	
7	स्टेनोटायपिस्ट	7	—	7	3	—	3	4	—	4	
8	वाहन चालक	3	—	3	2	—	2	1	—	1	
9	भृत्य	14	—	14	15	—	15	—	—	—	न्यायालय के आदेशानुसार रीवा संभाग में 01 भृत्य अधिक कार्यरत है ।
	योग	115	—	115	98	—	98	18	—	18	

जिला शहरी विकास अभिकरण कार्यालय मध्यप्रदेश

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	रिमार्क
1	परियोजना अधिकारी	38	24	14	प्रतिनियुक्ति से भरे जाते हैं
2	सहायक परियोजना अधिकारी	51	25	26	—''—
3	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	38	16	22	—''—
4	आशुलिपिक	27	27	—	—''—
5	वाहन चालक	25	20	5	—''—
6	भृत्य	76	76	—	—''—
7	फर्राश सह चौकीदार	35	35	—	—''—
8	सामुदायिक संगठक (संविदा पर रूपये 2500 प्रतिमाह)	388	242	146	संविदा नियुक्ति से भरे जाते है
	योग	**678**	**465**	**213**	

परिशिष्ट–दो

प्रदेश के नगरीय निकायों की संभाग/जिलावार सूची

सरल क्रमांक	जिले का नाम	नगरपालिक निगम	नगरपालिका परिषद	नगर पंचायत
1 ग्वालियर संभाग	1. ग्वालियर	1. ग्वालियर	1. डबरा	1. पिछोर 2. बिलौआ 3. आंतरी 4. भितरवार
	2. भिण्ड		2. भिण्ड 3. गोहद	5. मेहगांव 6. लहार 7. गोरमी 8. अकोड़ा 9. मिहोना 10. आलमपुर 11. दबोह 12. मौ 13. फूफकलां
	3. मुरैना		4. मुरैना 5. अम्बाह 6. पोरसा 7. सबलगढ.	14. जौरा 15. कैलारस 16. झुण्डपुरा 17. बामौर
	4. श्योपुरकलां		8. श्योपुरकलां	18. विजयपुर 19. बड़ौदा
	5. शिवपुरी		9. शिवपुरी	20. करेरा 21. कोलारस 22. खनियाधाना 23. पिछोर 24. बदरवास 25. नरवर
	6. गुना		10. गुना 11. राधोगढ़	26. चाचौड़ा बीनागंज 27. आरोन 28. कुंभराज
	7.अशोकनगर		12.अशोकनगर 13.चंदेरी	29. मुगावली 30. ईसागढ

सरल क्रमांक	जिले का नाम	नगरपालिक निगम	नगरपालिका परिषद	नगर पंचायत
	8. दतिया		14. दतिया	31. भांण्डेर 32. इंदरगढ़ 33. सेवड़ा
2. इंदौर संभाग	9. इंदौर	2. इंदौर		34. देपालपुर 35. सांवेर 36. गौतमपुरा 37. बेटमा 38. राऊ 39. हातौद 40. मानपुर 41. महुगांव
	10. धार		15. धार 16. मनावर 17.पीथमपुर	42. राजगढ़ 43. कुक्षी 44. बदनावर 45. धरमपुरी 46. धामनौद 47. सरदारपुर 48. मांडव
	11. बड़वानी		18. सेंधवा 19. बड़वानी	49. अंजड़ 50. राजपुर 51. खेतिया 52. पानसेमल
	12. झाबुआ		20. झाबुआ 21.अलीराजपुर	53. जोबट 54. थांदला 55. पेटलावद 56. भावरा 57. रानापुर
	13.पश्चिमनिमाड़ (खरगौन)		22. खरगौन 23. सनावद 24.बड़वाह	58. मण्डलेश्वर 59. कसरावद 60. भीकनगांव 61. महेश्वर
	14.पूर्व निमाड़ (खंडवा)	3. खंडवा		62. मूंदी 63. पंधाना 64. ओंकारेश्वर 65. छनेरा

सरल क्रमांक	जिले का नाम	नगरपालिक निगम	नगरपालिका परिषद	नगर पंचायत
	15.बुरहानपुर	4.बुरहानपुर	25.नेपानगर	66. शाहपुर
3. उज्जैन संभाग	16. उज्जैन	5. उज्जैन	26. बड़नगर 27. महिदपुर 28. खाचरोद 29. नागदा	67. तराना 68. उन्हेल
	17. नीमच		30. नीमच	69. मनासा 70. रामपुरा 71. जावद 72. जीरन 73. रतनगढ़ 74. सिंगोली 75. डिकेन
	18. देवास	6. देवास		76. कन्नौद 77. सोनकच्छ 78. खातेगांव 79. हाटपिपल्या 80. बागली 81. भौरासा 82. करनावद 83. काटाफोड़ 84. लोहारदा 85. सतवास 86. टोंकखुर्द 87. पिपलरंवा
	19. शाजापुर		31. शाजापुर 32. शुजालपुर 33. आगर	88. नलखेड़ा 89. मक्सी 90. बड़ौद 91. कानड़ 92. अकोदिया 93. सुसनेर 94. सोयतकलां 95. बड़ागांव 96. पोलायकलां

सरल क्रमांक	जिले का नाम	नगरपालिक निगम	नगरपालिका परिषद	नगर पंचायत
	20. रतलाम	7. रतलाम	34. जावरा	97. ताल 98. सैलाना 99. आलोट 100. नामली 101. बड़ावदा 102. पिपलौदा
	21. मंदसौर		35. मंदसौर	103. शामगढ़ 104. सीतामऊ 105. पिपल्यामंडी 106. नारायणगढ़ 107. मल्हारगढ़ 108. भानपुरा 109. नगरी 110. गरोठ
4. भोपाल संभाग	22. भोपाल	8. भोपाल	36. कोलार	111. बैरसिया
	23. सीहोर		37. सीहोर 38. आष्टा	112. इछावर 113. बुदनी 114. जावर 115. नसरूल्लागंज 116. रेहटी
	24. रायसेन		39. रायसेन 40. बेगमगंज 41.मण्डीदीप	117. औबेदुल्लागंज 118. सुल्तानपुर 119. बरेली 120. बाड़ी 121. सांची 122. उदयपुरा
	25. विदिशा		42. विदिशा 43.गंजबसौदा 44. सिरोंज	123. कुरवाई 124. लटेरी
	26. होशंगाबाद		45. होशंगाबाद 46. इटारसी 47. सिवनीमालवा 48. पिपरिया	125. बाबई 126. सोहागपुर

सरल क्रमांक	जिले का नाम	नगरपालिक निगम	नगरपालिका परिषद	नगर पंचायत
	27. हरदा		49. हरदा	127. टिमरनी 128. खिड़किया
	28. बैतूल		50. बैतूल 51. आमला 52. सारणी	129. मुलताई 130. बैतूल बाजार 131. भैंसदेही
	29. राजगढ़		53. नरसिंहगढ़ 54. सारंगपुर 55. ब्यावरा	132. राजगढ़ 133. जीरापुर 134. खिलचीपुर 135 तलेन 136 बोड़ा 137. खुजनेर 138. पचोर 139. सुठालिया 140. माचलपुर 141. छापीहेड़ा
5. सागर संभाग	30. सागर	9. सागर	56. बीना इटावा 57. खुरई 58. गढ़ाकोटा 59. रेहली 60. देवरी	142. राहतगढ़ 143. बंडा 144. शाहपुर 145. शाहगढ़
	31. दमोह		61. दमोह 62. हटा	146. तेंदुखेड़ा 147. पथरिया 148. हिन्डोरिया
	32. पन्ना		63. पन्ना	149. अमानगंज 150. देवेन्द्र नगर 151. अजयगढ़ 152. ककरहटी 153. पवई

सरल क्रमांक	जिले का नाम	नगरपालिक निगम	नगरपालिका परिषद	नगर पंचायत
	33. छतरपुर		64. छतरपुर 65. नौगांव	154. धुवारा 155. सटई 156. बारीगढ़ 157. महाराजपुर 158. बिजावर 159. गढ़ीमल्हरा 160. बक्सवाहा 161. चंदला 162. बड़ामल्हरा 163. हरपालपुर 164. लौंडी 165. खजुराहो 166. राजनगर
	34. टीकमगढ़		66. टीकमगढ़	167. निवाड़ी 168. पृथ्वीपुर 169. बल्देवगढ़ 170. खरगापुर 171. पलेरा 172. जैरोनखालसा 173. तरीचरकलां 174. जतारा 175. लिधोराखास 176. बड़ागांव 177. कारी 178. ओरछा
6. रीवा संभाग	35. रीवा	10. रीवा		179. बैंकुंठपुर 180. मउगंज 181. त्यौंथर 182. हनुमना 183. चाकघाट 184. गोविन्दगढ. 185. नईगढ़ी 186. सिरमौर 187. मनगवां 188. सेमरिया 189. गुढ़

सरल क्रमांक	जिले का नाम	नगरपालिक निगम	नगरपालिका परिषद	नगर पंचायत
	36. सीधी	11. सिंगरौली	67. सीधी	190 चुरहट 191. रामपुरनेकिन
	37. सतना	12.सतना	68. मैहर	192. नागौद 193. बिरसिंहपुर 194. जैतवारा 195. कोटर 196. कोठी 197. अमरपाटन 198. रामपुर–बघेलान 199. उचेहरा 200. चित्रकुट
	38. शहडोल		69. शहडोल 70. धनपुरी	201. बुढ़ार 202. ब्यौहारी 203 जयसिंहनगर 204. खाण्ड
	39.अनूपपुर		71. अनूपपुर 72. कोतमा 73. पसान	205.जैतहरी 206.बिजूरी 207.अमरकंटक
	40. उमरिया		74. उमरिया	208. चंदिया 209. नौरोजाबाद 210. पाली
7 जबलपुर संभाग	41. जबलपुर	13. जबलपुर	75. पनागर 76. सिहोरा	211. बरेला 212. भेड़ाघाट 213. शाहपुरा 214. पाटन 215. मझौली 216. कटंगी
	42. कटनी	14. मुड़वारा कटनी		217. बरही 218. कैमोर 219. विजयराधवगढ़
	43. बालाघाट		77. बालाघाट 78.वारासिवनी 79.मलाजखंड	220. कटंगी 221. बैहर

सरल क्रमांक	जिले का नाम	नगरपालिक निगम	नगरपालिका परिषद	नगर पंचायत
	44. छिन्दवाड़ा		80.छिन्दवाड़ा 81. पांढुर्ना 82.जुन्नारदेव (जामई) 83. डोगर परासिया	222. हर्रई 223. चौरई 224. लोधीखेड़ा 225. सौंसर 226. न्यूटन चिखली 227. अमरवाड़ा 228. चांदामेटा बुटारिया 229. मोहगांव
	45. नरसिंहपुर		84.नरसिंहपुर 85.गाडरवारा	230. गोटेगांव 231. करेली
	46. सिवनी		86. सिवनी	232. लखनादौन 233. बरघाट
	47. मंडला		87. मंडला 88. नैनपुर	234. बम्हनीबंजर
	48. डिण्डोरी			235. डिण्डोरी 236. शाहपुरा

नगर पालिक निगम	14
नगरपालिका परिषद	88
नगर पंचायत	236
योग	338

———

नगरीय प्रशासन एवं विकास

वर्ष 2007–08 का बजट प्रावधान तथा आवंटन

(अ) आयोजना मद — रूपये लाख में

शीर्ष	योजना क्र.	योजना का नाम	मूल, प्रथम, द्वितीय अनुपूरक एव समर्पण के उपरांत बजट प्रावधान वर्ष 07–08				दिसम्बर 07 तक व्यय			
			सामान्य	एस सी एस पी	टी एस पी	योग	सामान्य	एस सी एस पी	टी एस पी	योग
			22/75	53	68		22/75	53	68	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2217	5126	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार स्थापना व्यय (22)	31.25	0.00	0.00	31.25	19.99	0.00	0.00	19.99
2217 4217 6217	7905/ 7986	नगर निगमों में मूलभूत सुविधा का विकास (एडीबी) 22	11091.40	3408.60	0.00	14500.00	8049.46	1155.00	0.00	9204.46
2217	7321	शहरी सेवक प्रशिक्षणों के लिए	1500.80	0.00	0.00	1500.80	204.50	0.00	0.00	204.50
		योग मांग संख्या 22	**12623.45**	**3408.60**	**0.00**	**16032.05**	**8273.95**	**1155.00**	**0.00**	**9428.95**
2217	5126	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	1054.36	208.25	144.21	1406.82	489.86	152.63	144.21	786.70
2217	6047	स्थानीय निकायों को प्रशिक्षण हेतु अनुदान	19.90	0.00	0.00	19.90	7.77	0.00	0.00	7.77
2217	6981	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवी मिशन	24250.51	5439.04	0.00	29689.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2217	6982	एकीकृत शहरी एवं मलीन बस्ती विकास कार्यक्रम	10016.44	2244.77	2671.79	14933.00	1619.85	355.62	63.89	2039.36
2217	7893	12 वे वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार नगरीय निकायों को एक मुश्त अनुदान	4985.00	1241.00	994.00	7220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2217	179	सफाई कामगारें के लिये समूह बीमा योजना	0.00	64.80	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2217	9206	राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली कार्यक्रम	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4217	6987	देवास जिले के शहरी क्षेत्रों का विकास	625.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2217	5169	मध्यान्ह भोजन	1614.22	167.30	0.00	1781.52	896.37	0.00	0.00	896.37
		योग मांग संख्या 75	**42575.43**	**9365.16**	**3810.00**	**55750.59**	**3013.85**	**508.25**	**208.10**	**3730.20**
		योग मांग संख्या 22 एवं 75	**55198.88**	**12773.96**	**3810.00**	**71782.64**	**11287.80**	**1663.25**	**208.10**	**13159.15**

नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय

वर्ष 2007–08 का बजट प्रावधान, आवंटन तथा व्यय

रूपये लाख में

(ब) आयोजनेत्तर सामान्य 75

शीर्ष	योजना क्र.	योजना का नाम	प्रावधान	आवंटन	दिसम्बर 07 तक व्यय
1	2	3	4	5	6
2215	2181	नगरीय जल प्रदाय योजना	1800.00	1620.00	1458.00
3604	8017	वाहनों पर कर से प्राप्त आगम से शहरी स्थानीय निकायों को सडक मरम्मत के लिये अनुदान	6412.41	5771.17	4297.85
3604	8018	प्रवेश कर से प्राप्त आगम के बराबर शहरी स्थानीय निकाय को अनुदान (चुगी)	66285.24	59656.72	44851.57
3604	8860	वाणिज्य कर पर प्रभारित अधिभार की राशि का स्थानीय निकाय को भुगतान (मुलभूत सुविधा)	27192.00	24472.80	19011.05
3604	3217	म प्र अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन वसूल किये जाने वाले अर्थ दंड	0.10	0.10	0.00
3604	4035	विभिन्न अधिनियमों के अधीन स्थानीय निकायों को समपित शुल्क अर्थ दंड तथा अन्य प्राप्तियां	4000.00	4000.00	2887.82
3604	5866	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों के मुलभूत सेवाओं के लिये एक मुश्त अनुदान	8776.81	7899.13	5123.26
3604	9436	यात्री कर समाप्त किये जाने के एवज में स्थानीय निकायों का विशेष अनुदान	7830.69	7047.71	5285.70
6217	2175	नगर पालिकाओं को अन्य ऋण	0.00	0.00	0.00
		योग मांग संख्या 75	122297.25	110467.63	82915.25
		सामान्य 22			
2217	2122	पेशन योजना के कियान्वयन के लिये (वेतन भत्ते एवं कार्यलय व्यय)	39.52	38.76	26.48
2217	6148	वेतन भत्ते संचालनाल एवं संभागीय कार्यालय	298.68	295.61	212.00
2217	7400	सिंहस्थ मेले की व्यवस्था (मानदेय)	2.10	1.80	1.80
		योग मांग संख्या 22	340.30	336.17	240.28
		योग मांग संख्या 22 एव 75	122637.55	110803.80	83155.53